बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
–:: अधिसूचना ::–

पटना,दिनांकः– / /2025

संचिका सं०–17/विविध–01–92/2025–................../स्वा0, दिनांक–01.06.2025 को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की हुई मृत्यु का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर द्वारा रेफरल पॉलिसी का अनुपालन नहीं किया गया एवं अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया है। साथ ही पीड़िता के ईलाज में घोर संवेदनहीनता बरती गई है।

2. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डा0 कुमारी बिभा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 के संगत प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अलग से आरोप पत्र गठित करने की कार्रवाई की जायेगी।

3. निलंबन अवधि में डॉ0 कुमारी बिभा का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में डा0 कुमारी बिभा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

संचिका सं०–17/विविध–01–92/2025–573(17)/स्वा0 पटना, दिनांक :– 03/06/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी एवं संबंधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 कुमारी बिभा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग–सह–प्रभारी अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09, 17 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 03/06/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Raumish sir/Letter